



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28200

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 8876 वर्ष 2024

अमित कुमार यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सिद्धार्थ खरे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री हिमांशु सिंह (ए/एच 0277/2019) और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।

2. विरोधी पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे कोई और हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, इसलिए पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।

3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूप चालक के पद के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 3300 पदों का विज्ञापन दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता पात्र होने के कारण ओबीसी श्रेणी के तहत आवेदन किया था और उन्हें अनुक्रमांक 96495 आवंटित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उनका चयन हो गया था और इस आशय का एक प्रमाण पत्र 16.03.2020 को जारी किया गया था, हालांकि, कोरोना महामारी के आगमन के साथ, प्रशिक्षण और कार्यभार ग्रहण करना टाल दिया गया था और रिट याचिकाकर्ता को एक हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया गया था कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, जिसे रिट याचिकाकर्ता ने 07.08.2020 को प्रस्तुत किया। रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 21.08.2020 के आदेश द्वारा एक महीने के प्रशिक्षण के लिए निर्देशित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता 25.09.2020 को प्रशिक्षण में उपस्थित हुए। हालांकि इस बीच, दुर्भाग्यवश, एक प्रशांत कुमार यादव द्वारा आवेदक और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504 के तहत प्राथमिकी संख्या 0044 दिनांक 23.04.2020 को दर्ज कराई गई। चूंकि रिट याचिकाकर्ता ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, फिर भी उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थियों के समक्ष अपना पक्ष रखा, हालांकि, 06.11.2020 को प्रत्यर्थियों द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसके तहत नलकूप चालक के पद पर रिट याचिकाकर्ता का चयन रद्द कर दिया गया, जो

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

रिट-ए संख्या 13642 वर्ष 2020 (अमित कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में चुनौती का विषय था, जिसमें 19.04.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विक्रम बहादुर यादव को सुना गया।

वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.11.2020 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा नलकूप चालक के पद के लिए उनके चयन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि उन्होंने विज्ञापन संख्या 15(3)/2016/नलकूपचालक (सामान्य भर्ती) में क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन किया है क्योंकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है।

संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नलकूप चालक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन संख्या 15(3)/2016/नलकूपचालक (सामान्य भर्ती) के अनुसरण में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के तहत ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और अंततः चयनित हुए। इसके बाद चयन सूची उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को भेज दी गई। चयन सूची में याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 65 पर आया और चयन सूची के आधार पर मंडल के आवंटन की कार्यवाही की गई। याचिकाकर्ता ने उक्त कार्यवाही में भाग लिया और मुख्य अभियंता ने दिनांक 16.03.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को नलकूप खंड मिर्जापुर आवंटित किया।

याचिकाकर्ता ने एक महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया, हालांकि, याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया, जिसके कारण याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दाखिल करना पड़ा। अधिशासी अभियंता ने दिनांक 06.11.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का चयन रद्द कर दिया जो रिट याचिका में आक्षेपित है।

उक्त आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदन पत्र भरने के समय याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था और इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा विज्ञापन संख्या 15(3)/2016/नलकूपचालक (सामान्य भर्ती) में क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था।

यह तर्क दिया गया है कि शत्रुता के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रशिक्षण अवधि के बाद 23.04.2020 को आईपीसी की धारा 147, 323 और 504 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी प्राथमिकी को याचिकाकर्ता की नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश बिना दिमाग लगाए और बिना उचित विचार किए पारित किया गया है क्योंकि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में केवल आपराधिक मामले के लंबित होने का उल्लेख है, लेकिन आदेश पारित करते समय अधिशासी अभियंता यह समझने में विफल रहे हैं

कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला नैतिक अधमता की परिभाषा में आएगा ताकि याचिकाकर्ता को नियुक्त होने से वंचित किया जा सके।

यह प्रस्तुत किया गया है कि कथित प्राथमिकी शत्रुता के कारण दर्ज कराई गई है क्योंकि याचिकाकर्ता और प्राथमिकी के शिकायतकर्ता के बीच भूमि विवाद है, और यदि आदेश पारित करने से पहले अधिशासी अभियंता द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया होता, तो याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित कर देता कि याचिकाकर्ता द्वारा विज्ञापन की किसी भी शर्त का कोई छिपाव या उल्लंघन नहीं किया गया है और आगे उक्त प्राथमिकी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है और केवल शत्रुता के कारण याचिकाकर्ता को नियुक्ति पाने से वंचित करने के लिए दर्ज कराई गई है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 07.08.2020 के हलफनामे में अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले के लंबित होने के तथ्य को छिपाया है और चूंकि विज्ञापन की शर्त का उल्लंघन हुआ है, इसलिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति से सही मना किया गया है।

जो भी हो, यह निर्विवाद है कि विज्ञापन के अनुसरण में याचिकाकर्ता पर नलकूप चालक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया गया था। याचिकाकर्ता का सफल घोषित किया गया और योग्यता सूची के आधार पर मुख्य अभियंता के दिनांक 16.03.2020 के आदेश द्वारा उन्हें मिर्जापुर मंडल आवंटित किया गया। याचिकाकर्ता ने एक महीने का आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसे याचिकाकर्ता ने 25.09.2020 को पूरा किया। केवल नियुक्ति पत्र जारी करने के चरण में, एसएसपी की सत्यापन रिपोर्ट के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का तथ्य रिकॉर्ड पर आया।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24.04.2020 को याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के पैरा 17 में यह भी कहा गया है कि शुभ नारायण यादव जो प्राथमिकी में शिकायतकर्ता हैं, ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मिर्जापुर की अदालत में मूल वाद संख्या 19/2007 (शुभ नारायण यादव बनाम रामखिलावन और अन्य) दायर किया है और उक्त शत्रुता के कारण एक झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

तथ्यों के इस दृष्टिकोण में, यह न्यायालय पाता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां अधिशासी अभियंता को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था ताकि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित कर सके कि उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है और आपराधिक मामले का लंबित होना नैतिक अधमता की श्रेणी में नहीं आएगा। याचिकाकर्ता की नियुक्ति से इनकार करते समय अधिशासी अभियंता द्वारा सही तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है।

तथ्यों के इस दृष्टिकोण में, यह न्यायालय पाता है कि आक्षेपित आदेश कानून में कायम रखने योग्य नहीं है, और इसलिए, आक्षेपित आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 4- अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मिर्जापुर को उचित नोटिस और सुनवाई का अवसर देने के बाद नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता के साथ निरस्त किया जाता है और वह इस पर भी उचित विचार करेंगे कि क्या याचिकाकर्ता का



मामला नैतिक अधमता की परिभाषा के भीतर आता है ताकि उसे उक्त पद पर नियुक्ति से वंचित किया जा सके।

उपरोक्त कार्य अधिशासी अभियंता द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।"

4. इसके पश्चात रिट याचिकाकर्ता अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड मिर्जापुर, प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष उपस्थित हुए और अब दिनांक 10.11.2023 को रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे को नकारते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया।
5. इसे चुनौती देते हुए रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
6. इस न्यायालय ने 31.05.2024 को रिट याचिका पर विचार किया और जवाब मांगा।
7. सहायक अभियंता, नलकूप खंड मिर्जापुर द्वारा दिनांक 07.04.2024 को एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।
8. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि अधिशासी अभियंता, नलकूप मिर्जापुर, चौथे प्रत्यर्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.11.2023 एक क्षण के लिए भी कायम नहीं रखा जा सकता। उक्त दलील को विस्तार देते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 इस तथ्य से प्रभावित थे कि रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है और इसी विचार ने उन पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार किए बिना रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया कि उक्त प्राथमिकी कब दर्ज की गई थी। तर्क यह है कि उक्त प्राथमिकी का समय ही यह दर्शाता है कि यह रिट याचिकाकर्ता को पदच्युत करने के लिए प्रतिशोध से भरा एक दुर्भावनापूर्ण कार्य मात्र है।
9. तर्क यह है कि विज्ञापन वर्ष 2016 में प्रकाशित हुआ था और रिट याचिकाकर्ता का चयन हुआ था, और 16.03.2020 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था। हालांकि, 23.04.2020 की एक घटना को दिखाते हुए, रिट याचिकाकर्ता और प्राथमिकी में नामित अन्य अभियुक्तों के खिलाफ 24.04.2020 को 13.28 बजे आईपीसी की धारा 147, 323, 504 के तहत प्राथमिकी संख्या 0044 दर्ज की गई। तर्क यह है कि स्थिति अलग हो सकती थी यदि प्राथमिकी विज्ञापन के समय या चयन प्रक्रिया के मध्य की अवधि के दौरान दर्ज की गई होती। लेकिन यहाँ प्रथम सूचनाकर्ता ने रिट याचिकाकर्ता को हर संभव तरीके से परेशान करने के लिए प्राथमिकी तब दर्ज कराई जब उसके दिमाग में यह बात आई कि चयन के बाद रिट याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तर्क यह है कि इस न्यायालय ने मुकदमेबाजी के पिछले दौर में रिट-ए संख्या 13642 वर्ष 2023 में दिनांक 19.04.2023 के आदेश के माध्यम से इस तथ्य पर विचार किया था कि प्राथमिकी प्रतिशोधात्मक रवैये के अलावा और कुछ नहीं थी और आगे मूल वाद संख्या 19 वर्ष 2007 भी संस्थित किया गया था और उक्त शत्रुता प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक प्रेरक कारक थी।
10. यह भी तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश में मामले के उक्त महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया गया है और आगे दिनांक 28.04.1958 का एक सरकारी आदेश भी है, जिसके अनुसार, केवल दोषसिद्धि ही चयन और लाभों को नकारने का स्वतः आधार नहीं है, क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य; 2016 (8) एससीसी 471 और पवन कुमार बनाम भारत संघ और अन्य; 2022 एससीसी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

ऑनलाइन एससी 532 और रविंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 180 के निर्णयों पर भी अवलम्ब लिया गया है।

11. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने कहा है कि रिट याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छिपाया है और आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में मामले की जड़ तक जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने एक झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया, इसलिए उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि समय-समय पर जारी सरकारी आदेश के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने या तैनाती से पहले, अधिकारियों ने एक जांच की और पाया कि हलफनामे में प्रस्तुत और प्रकट की गई जानकारी झूठी थी।

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

13. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवाद का विषय नहीं है कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नलकूप चालक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन यानी विज्ञापन संख्या 15(3)/2016/नलकूपचालक (सामान्य भर्ती) प्रकाशित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता ने ओबीसी श्रेणी के तहत आवेदन किया और उनका चयन हुआ और इस आशय का प्रमाण पत्र 16.03.2020 को जारी किया गया। रिट याचिकाकर्ता ने 07.08.2020 को एक हलफनामा दिया जिसमें यह खुलासा किया गया कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और 21.08.2020 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें रिट याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता थी और रिट याचिकाकर्ता ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रमाण पत्र 25.09.2020 को जारी किया गया। हालांकि, 24.04.2020 को मामला तब बदला जब रिट याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504 के तहत प्राथमिकी संख्या 0044 वर्ष 2020 दर्ज की गई। इसके बाद, 06.11.2020 को रिट याचिकाकर्ता का चयन रद्द कर दिया गया जो रिट-ए संख्या 13642 वर्ष 2020 में चुनौती का विषय था, जिसमें आक्षेपित आदेश को निरस्त कर दिया गया और मामला प्राधिकारी को नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया गया और उसके बाद अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड मिर्जापुर, प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा 10.11.2023 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

14. आक्षेपित आदेश इस प्रकार है:

"मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में श्री अमित कुमार यादव पुत्र श्री कन्हैया लाल यादव के द्वारा रिट याचिका संख्या-13642/2020 अमित कुमार यादव बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित किया गया, जिसमें मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा दिनांक-19.04.2023 को निम्न निर्णय दिया गया है:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विक्रम बहादुर यादव को सुना गया।

वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.11.2020 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा नलकूप चालक के पद के लिए उनके चयन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि उन्होंने विज्ञापन संख्या 15(3)/2016/नलकूपचालक (सामान्य भर्ती) में क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन किया है क्योंकि

उन्होंने इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है।

संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नलकूप चालक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन संख्या 15(3)/2016/नलकूपचालक (सामान्य भर्ती) के अनुसरण में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के तहत ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और अंततः चयनित हुए। इसके बाद चयन सूची उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को भेज दी गई। चयन सूची में याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 65 पर आया और चयन सूची के आधार पर मंडल के आवंटन की कार्यवाही की गई। याचिकाकर्ता ने उक्त कार्यवाही में भाग लिया और मुख्य अभियंता ने दिनांक 16.03.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को नलकूप खंड मिर्जापुर आवंटित किया।

याचिकाकर्ता ने एक महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया, हालांकि, याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया, जिसके कारण याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दाखिल करना पड़ा। अधिशासी अभियंता ने दिनांक 06.11.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का चयन रद्द कर दिया जो रिट याचिका में आक्षेपित है।

उक्त आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदन पत्र भरने के समय याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था और इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा विज्ञापन संख्या 15(3)/2016/नलकूपचालक (सामान्य भर्ती) में क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था।

यह तर्क दिया गया है कि शत्रुता के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रशिक्षण अवधि के बाद 23.04.2020 को आईपीसी की धारा 147, 323 और 504 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कहा गया है कि ऐसी प्राथमिकी को याचिकाकर्ता की नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश बिना विवेक का उपयोग किए और बिना उचित विचार किए पारित किया गया है क्योंकि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में केवल आपराधिक मामले के लंबित होने का उल्लेख है, लेकिन आदेश पारित करते समय अधिशासी अभियंता यह समझने में विफल रहे हैं कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला नैतिक अधमता की परिभाषा में आएगा ताकि याचिकाकर्ता को नियुक्त होने से वंचित किया जा सके।

यह कहा गया है कि कथित प्राथमिकी शत्रुता के कारण दर्ज कराई गई है क्योंकि याचिकाकर्ता और प्राथमिकी के शिकायतकर्ता के बीच भूमि विवाद है, और यदि आदेश पारित करने से पहले अधिशासी अभियंता द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया होता, तो याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित कर देता कि याचिकाकर्ता द्वारा विज्ञापन की किसी भी शर्त का कोई छिपाव या उल्लंघन नहीं किया गया है और आगे



उक्त प्राथमिकी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है और केवल शत्रुता के कारण याचिकाकर्ता को नियुक्ति पाने से वंचित करने के लिए दर्ज कराई गई है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 07.08.2020 के हलफनामे में अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले के लंबित होने के तथ्य को छिपाया है और चूंकि विज्ञापन की शर्त का उल्लंघन हुआ है, इसलिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति से सही मना किया गया है।

जो भी हो, यह निर्विवाद है कि विज्ञापन के अनुसरण में याचिकाकर्ता पर नलकूप चालक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया गया था। याचिकाकर्ता को सफल घोषित किया गया और मेरिट सूची के आधार पर मुख्य अभियंता के दिनांक 16.03.2020 के आदेश द्वारा उन्हें मिर्जापुर मंडल आवंटित किया गया। याचिकाकर्ता ने एक महीने का आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसे याचिकाकर्ता ने 25.09.2020 को पूरा किया। केवल नियुक्ति पत्र जारी करने के चरण में, एसएसपी की सत्यापन रिपोर्ट के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का तथ्य रिकॉर्ड पर आया।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24.04.2020 को याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के पैरा 17 में यह भी कहा गया है कि शुभ नारायण यादव जो प्राथमिकी में शिकायतकर्ता हैं, ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मिर्जापुर की अदालत में मूल वाद संख्या 19/2007 (शुभ नारायण यादव बनाम रामखिलावन और अन्य) दायर किया है और उक्त शत्रुता के कारण एक झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

तथ्यों के इस दृष्टिकोण में, यह न्यायालय पाता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां अधिशासी अभियंता को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था ताकि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित कर सकें कि उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है और आपराधिक मामला लंबित होना नैतिक अधमता की श्रेणी में नहीं आएगा। याचिकाकर्ता की नियुक्ति से इनकार करते समय अधिशासी अभियंता द्वारा सही तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है।

तथ्यों के इस दृष्टिकोण में, यह न्यायालय पाता है कि आक्षेपित आदेश कानून में कायम रखने योग्य नहीं है, और इसलिए, आक्षेपित आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 4- अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मिर्जापुर को उचित सूचना और सुनवाई का अवसर देने के बाद नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता के साथ निरस्त किया जाता है और वह इस पर भी उचित विचार करेंगे कि क्या याचिकाकर्ता का मामला नैतिक अधमता की परिभाषा के भीतर आता है ताकि उसे उक्त पद पर नियुक्ति से वंचित किया जा सके।

उपरोक्त कार्य अधिशासी अभियंता द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

आदेश तिथि :- 19.4.2023

आर.एस. तिवारी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



1-उक्त आदेश के क्रम में श्री अमित कुमार यादव द्वारा दिनांक 22.06.2023 को अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मा० उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुये आदेश के क्रम में नलकूप चालक के पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया।

2-इस कार्यालय के पत्रांक-665/ न०ख० मी०/न०नियु० न०चा०/मीरजापुर/ दिनांक 24.05.2023 द्वारा श्री अमित कुमार यादव दिनांक 07.06.2023 को प्रातः 11:00 बजे व्यक्तिगत रूप से कार्यालय नलकूप खण्ड, मीरजापुर में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

3-श्री अमित कुमार यादव नियत तिथि में कार्यालय में उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष प्रत्यावेदन के अनुसार प्रस्तुत करते हुए पुनः नियुक्त करने का अनुरोध किया। पक्ष प्रस्तुत करने के क्रम में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु श्री अमित कुमार यादव द्वारा 01 माह का समय दिये जाने का अनुरोध किया गया।

4-श्री अमित कुमार यादव द्वारा दिनांक- 11.07.2023 को पत्र दिनांक 22.06.2023 द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में पुलिस द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित आरोप पत्र (संलग्नक रहित) एवं सूचना अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त सूचना (मूलरूप में) प्रस्तुत की।

5-इस कार्यालय के पत्रांक संख्या- 1352/न० ख०मी०/दिनांक- 12.09.2023 द्वारा मुख्य स्थाई अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से विधिक राय का अनुरोध किया गया। मुख्य स्थाई अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.09.2023 को अपनी विधिक राय प्रदान की (संलग्नक- 01)।

6-इस कार्यालय के पत्रांक- 1576/दिनांक- 10.10. 2023 द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल), मीरजापुर को मुकदमा अपराध संख्या-04/2020 के चार्ज शीट की नकल उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

क-नोटिस के अन्तर्गत धारा 41 ए/ द०प्र०सं० द्वारा श्री अमित कुमार यादव को अभियुक्त बनाये जाने की सूचना दी गयी है। जिसकी प्राप्तगी में याची के हस्ताक्षर अंकित है (संलग्नक-02)।

ख-धारा-170 द०प्र०सं० के अन्तर्गत नोटिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने की सूचना विवेचक द्वारा दी गयी। जिसकी प्राप्तगी में याची के हस्ताक्षर अंकित है। (संलग्नक- 03)

उक्त के आलोक में प्रकरण की अद्यतन स्थिति निम्नवत है :-

i. नलकूप चालकों की सेवा नियमावली 1953 के नियम 14 के तहत एक माह तक अवैतनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: 29 अप्रैल 2021 (संलग्नक-04) के अन्तर्गत श्री अमित कुमार यादव के शपथ पत्र दिनांक 07.08.2020 के क्रम में अवैतनिक प्रशिक्षण के आदेश कार्यालय जाप सं०-1185/न०ख०मी०/ई-7/ दिनांक 21.8.2020 द्वारा निर्गत करते हुए प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक मीरजापुर को पुलिस वेरिफिकेशन हेतु पृष्ठांकित की गयी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ii. उक्त आदेश के क्रम में याची ने उपखण्ड- प्रथम, नलकूप खण्ड मीरजापुर में दिनांक 26-8- 2020 से दिनांक 25-9-2020 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

iii. याची के विरुद्ध मु०अ०सं० 44/2020 धारा 147, 323, 504 आई०पी०सी० का अभियोग दिनांक-24.04.2020 को थाना चील्ह जनपद मीरजापुर में पंजीकृत होने की सूचना पुलिस अधीक्षक के पृष्ठांकन आर नम्बर-768/दिनांक 15.09.2020 द्वारा सूचना प्राप्त हुई।

iv. याची के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोप पत्र दिनांक-16.06.2020, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जा चुका है।

v. याची द्वारा शपथ-पत्र दिनांक 07-08-2020 (संलग्नक- 05) विभाग/खण्ड में हस्तगत कराया। शपथ-पत्र के बिन्दु-3 व 4 में श्री अमित कुमार यादव द्वारा शपथ पूर्वक निम्न सूचना दी गयी:-

"3-मेरे विरुद्ध देश/प्रदेश में किसी भी थाने में आपराधिक कृत्य का कोई वाद प्रचलित / लम्बित नहीं है। (यदि कोई प्रकरण हो तो उसका विवरण संलग्न किया गया है।)

4-मेरे विरुद्ध देश/प्रदेश में किसी न्यायालय में कोई वाद प्रचलित / लम्बित नहीं है।"

7- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०-01, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के निम्न संलग्नकों से याची को अपराध संख्या-04/2020 अन्तर्गत धारा 147, 323, 504 आई०पी०सी० की जानकारी होने की पुष्टि होती है।

8- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या/04/2021/1/4/2011-का-4-2021, कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: 29 अप्रैल 2021 के बिन्दु संख्या-1 व 2 निम्नवत उद्धृत है :-

(i) राज्य सरकार की किसी भी सेवा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन पूर्ववत् ही किया जायेगा, किन्तु नियुक्ति पत्र निर्गमन के प्रकरण को इस प्रकार के सत्यापन के लिए लम्बित रखने की आवश्यकता नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषण पत्र प्राप्त कर औपबन्धिक नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं। तदनुसार सत्यापन एवं स्वःघोषणा पत्र संबंधी प्रपत्र अनुसूचक के रूप में संलग्न है।

(ii) औपबन्धिक नियुक्ति पत्र में, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप श्री अमित कुमार यादव द्वारा स्वःसत्यापन में गलत सूचना दिये जाने एवं प्रत्यावेदन में पुनः पैरा संख्या-07 में "मुकदमा अपराध संख्या-04/2020 अन्तर्गत धारा 147, 323, 504 आई०पी०सी० की कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं है" होने का कथन तथ्यों के विपरीत एवं गलत होने के कारण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को चयन निरस्त करने एवं मुख्य

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अभियन्ता/अध्यक्ष खण्ड आवंटन समिति द्वारा निर्गत खण्ड आवंटन प्रमाण-पत्र दिनांक 16.03.2020 को निरस्त की संस्तुति करते हुए प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है।"

15. आक्षेपित आदेश चार पृष्ठों का है, हालांकि, पहला और दूसरा पृष्ठ मुकदमेबाजी के पिछले दौर में पारित आदेश के लिए समर्पित हैं, जबकि तीन पृष्ठों का बड़ा हिस्सा उन कार्यवाहियों के बारे में बात करता है जो पिछले दौर में न्यायालय के आदेश पारित होने के बाद हुई थीं और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। महत्वपूर्ण रूप से, इस न्यायालय ने मुकदमेबाजी के पिछले दौर में रिट-ए संख्या 13642 वर्ष 2020 में पारित अपने दिनांक 19.04.2023 के आदेश में 24.04.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने और मूल वाद संख्या 19/2007 शुभ नारायण यादव बनाम रामखिलावन और अन्य के संस्थित होने के तथ्य को नोट किया था और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उन तर्कों को भी नोट किया था कि प्रथम सूचनाकर्ता और याचिकाकर्ता गुट के बीच शत्रुता और वैमनस्य था।

16. विशेष रूप से, यहाँ कुछ राहत देने वाली विशेषताएँ हैं: पहली, जिसके अनुसरण में चयन आयोजित किया गया था वह वर्ष 2016 का है और याचिकाकर्ता का चयन हुआ था और अंतिम परिणाम घोषित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता को 16.03.2020 को चयनित घोषित किया गया था। उस समय तक, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था क्योंकि वह घटना और घटित होने की तिथि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आधार बनी, वह दिनांक 23.04.2020 की है और प्राथमिकी 24.04.2020 को दर्ज की गई थी। उक्त तिथियाँ उस तिथि के बाद की हैं जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और याचिकाकर्ता का चयन हुआ था। मुकदमेबाजी के पिछले दौर में भी, याचिकाकर्ता अपने इस रुख पर अडिग था कि उक्त प्राथमिकी प्रतिशोध की कार्यवाही थी और उसे उस संबंध में फंसाया जा रहा था। मामले के उक्त पहलू पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा बहस की गई थी, ध्यान नहीं दिया गया है। उपरोक्त तथ्य के अलावा, आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि उक्त आदेश के लेखक इस तथ्य से प्रभावित थे कि यह खुलासा न करने का मामला था, लेकिन याचिकाकर्ता का यह रुख था कि उसे उक्त आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हालांकि आक्षेपित आदेश में यह उद्धृत किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क के तहत कार्यवाही के मद्देनजर याचिकाकर्ता को उक्त आदेश की जानकारी थी, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह याचिकाकर्ता पर कब तामील किया गया था।

17. न्यायालय की राय में, यह निष्कर्ष दर्ज करते समय कि उक्त रिकॉर्ड याचिकाकर्ता को कब और किस तिथि पर उपलब्ध था, प्रत्यर्थी अधिकारियों के स्तर पर कुछ और अपेक्षित था। उपरोक्त तथ्य के अलावा, दो प्रकार की श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणी उन आवेदकों से संबंधित है जो आपराधिक मामले के बारे में खुलासा करते हैं, और दूसरी श्रेणी उनकी है जो आपराधिक मामले के बारे में खुलासा नहीं करते हैं। दूसरी श्रेणी में, अधिकारियों को अपना विवेक लागू करते समय उस संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।

18. पवन कुमार (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के सिद्धांत पर रविंद्र कुमार (उपरोक्त) में विचार किया गया था, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

"27. हाल ही में पवन कुमार बनाम भारत संघ, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 532 में, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति और सत्यापन फॉर्म में कथित छिपाव के कारण सेवामुक्ति के आदेश को रद्द करना शामिल था, इस न्यायालय ने अवतार सिंह (उपरोक्त) पर गौर करने के बाद निम्नानुसार निर्णय दिया:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

"11. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेने का आशय रखता है, उसे सेवा में शामिल होने से पहले और बाद में सत्यापन फॉर्म में अपने चरित्र और पूर्ववृत्त से संबंधित सही जानकारी प्रस्तुत करना हमेशा आवश्यक होता है। यह भी उतना ही सच है कि जिस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है या झूठी घोषणा की है, उसके पास वास्तव में नियुक्ति या सेवा में बने रहने की मांग करने का कोई बेलगाम अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम उसे मनमाने ढंग से व्यवहार न किए जाने का अधिकार है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर उचित ध्यान देते हुए वस्तुनिष्ठता के साथ उचित तरीके से विवेकपूर्ण ढंग से शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पदधारी की उपयुक्तता का न्याय करने के लिए जो मानक लागू किया जाना है, वह हमेशा पद की प्रकृति, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर छिपाव के प्रभाव पर निर्भर करता है, जिस पर प्राधिकारी द्वारा विभिन्न पहलुओं की उचित सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इस संबंध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

13. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्याख्या से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि केवल महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने से, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि दोषसिद्धि हुई है या दोषमुक्ति दर्ज की गई है, कर्मचारी को केवल एक कलम के झटके से सेवा से स्वतः सेवामुक्त नहीं किया जाना है। साथ ही, किसी आपराधिक मामले में शामिल महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के प्रभाव को नियोक्ता के लिए छोड़ दिया गया है कि वह पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करे और वस्तुनिष्ठ मानदंडों तथा प्रासंगिक सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए सेवा में कर्मचारी की निरंतरता के संबंध में उचित निर्णय ले। इस न्यायालय द्वारा जो गौर किया गया है वह यह है कि किसी दिए गए मामले में केवल महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से सेवामुक्त कर सकता है।

19. फलस्वरूप, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ का दिनांक 17 नवंबर, 2015 का निर्णय और दिनांक 24 अप्रैल, 2015 तथा दिनांक 23 दिसंबर, 2021 के सेवामुक्ति के आदेश एतद्वारा रद्द और निरस्त किए जाते हैं। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता को कांस्टेबल के पद पर सेवा में बहाल करें, जिस पर उसे 27 फरवरी, 2011 के रोजगार नोटिस संख्या 1/2011 के संदर्भ में उसकी भागीदारी के अनुसरण में चुना गया था। हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता उस अवधि के लिए वेतन के बकाया का हकदार नहीं होगा जिस दौरान उसने बल की सेवा नहीं की है और साथ ही वह वेतन, वरिष्ठता और अन्य परिणामी लाभों सहित सभी काल्पनिक लाभों का हकदार होगा। आज से एक महीने की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित किए जाएंगे। कोई लागत नहीं।"

19. आक्षेपित आदेश पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि दावे को नकारते समय अधिकारियों पर जो विचार हावी रहे और पूरी कार्यप्रणाली, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अधिदेश के अनुसार नहीं है।

20. फिर भी, अधिकारी उस संबंध में समग्र तथ्य और स्थिति तथा परिस्थितियों के साथ-साथ प्राथमिकी के समय को भी देखने के लिए बाध्य थे, जिसकी कमी है। इतना ही नहीं, दिनांक 28.04.1958 के सरकारी आदेश के बारे में भी कोई विचार नहीं किया गया है जो इस संबंध में लागू होता है।

21. इस स्तर पर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल का तर्क है कि मामले को उस संबंध में नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



22. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क). प्रत्यर्थी संख्या 4, अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड मिर्जापुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.11.2023 को निरस्त किया जाता है।

(ख). आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर सख्ती से कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस भेज दिया जाता है।

23. ऐसा करके, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को स्वतः कार्यभार ग्रहण या तैनाती प्रदान नहीं की है, हालांकि, यह उस संबंध में प्रेषण के बाद पारित किए जाने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगा।

24. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"